

बिहार सरकार,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग।
सं०-३/आ०वि०(संघा)-०१-०३/२०१२-क-

प्रेषक,
निदेशक।

सेवा में,
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण।

पटना-१५ दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में गैर योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित अनु० जाति एवं अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में गैर योजनान्तर्गत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु० जाति तथा अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ प्रथम चार माह हेतु आवंटनादेश सं०-०४, दिनांक-१८-५-१२ द्वारा ७,७७,९२,२५०/-रु० (सात करोड़ सतहत्तर लाख बिरानवे हजार दो सौ पचास) रु० तथा आवंटनादेश सं०-०५, दिनांक-१८-५-२०१२ द्वारा १,५८,८७,९२५/-रु० (एक करोड़ अन्ठावन लाख सतासी हजार नौ सौ पचीस रु०) एवं द्वितीय चार माह हेतु आवंटनादेश सं०-२६ दिनांक-२२-८-१२ द्वारा ४,९३,२५,०००/-रु० (चार करोड़ तिरानवे लाख पचीस हजार रु०) तथा आवंटनादेश सं०-२७, दिनांक-२२-८-२०१२ द्वारा १,५३,४५,५५०/-रु० (एक करोड़ तिरपन लाख पैतालिस हजार पाँच सौ पचास रु०) का आवंटन निर्गत किया गया है।

उक्त आवंटन के विरुद्ध व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से उपलब्ध करायी जाय, ताकि अगले आवंटन के संबंध में विचार किया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह०/-

निदेशक।

ज्ञापांक-३/आ०वि०(संघा)-०१-०३/२०१२-क-

२०८२

पटना-१५ दिनांक-

२४.९.१२

प्रति-आई०टी मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेब साइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

21/9/12

21.9.12
निदेशक।